

प्रेषक,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

सूचना अनुभाग

विषय :- स्वतन्त्रता दिवस समारोह-2022 के आयोजन संबंधी दिशा निर्देश।  
महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास, त्याग और बलिदान का स्मरण कराने वाले स्वाधीनता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ का समारोह इस वर्ष परम्परागत रूप से 15 अगस्त, 2022 को मनाया जायेगा। इस समारोह के आयोजन हेतु कार्यक्रम की रूप-रेखा, विशेष परिस्थितियों में अपरिहार्यता की दशा में स्थानीय स्तर पर सुविधानुसार तथा तत्समय प्रचलित कोविड-19 दिशानिर्देशानुसार न्यून संशोधन के प्रतिबंधाधीन, निम्नवत् होगी :-

क. सरकारी एवं गैर सरकारी इमारतों पर ध्वजारोहण :

1. - प्रदेश मुख्यालय देहरादून में ध्वजारोहण

- प्रदेश मुख्यालय पर स्थित राज्य सचिवालय में ध्वजारोहण मुख्य सचिव द्वारा प्रातः 9:00 बजे।
- जिलाधिकारी कार्यालय, देहरादून में प्रातः 9:00 बजे जिलाधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।
- सभी सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रातः 9:00 बजे ध्वजारोहण किया जायेगा।
- परेड ग्राउण्ड, देहरादून में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किये जायेंगे। तदनुसार समारोह में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रातः 10:00 बजे ध्वजारोहण किया जायेगा।

2. राज्य के अन्य जनपदों में ध्वजारोहण

सभी सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रातः 9:00 बजे ध्वजारोहण किया जायेगा।

देहरादून के अतिरिक्त राज्य के अन्य जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालयों में प्रातः 9:30 बजे ध्वजारोहण किया जायेगा।

(कार्यवाही-समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाधिकारी/सचिवालय प्रशासन)

ख. राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन :

- (i) परेड ग्राउण्ड, देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे जिसके अन्तर्गत प्रातः 10:00 बजे मा. मुख्यमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा। पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रीयगान सहित पुलिस, अर्धसैनिक बल, (एस.डी.आर.एफ. सुविधा से उपलब्ध होने पर), प्रान्तीय रक्षक दल, होमगार्ड, एन0सी0सी0 कैडेट्स, स्काउट गाईड के द्वारा परेड व सलामी के कार्यक्रम सम्पन्न होंगे। इन कार्यक्रमों के आयोजन एवं समन्वय हेतु जिलाधिकारी, देहरादून के द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की जायेगी तथा सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन के स्तर पर आवश्यक पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(कार्यवाही-सूचना विभाग/जिलाधिकारी, देहरादून)

- (ii) उक्त समारोह हेतु आमंत्रितजनों की संख्या तत्समय की कोविड-19 की स्थिति अनुसार

निर्धारित करते हुए अति विशिष्टजनों/महानुभावों हेतु निमंत्रण पत्र तथा अन्य हेतु ई-इन्विटेशन (E-Invitation) की व्यवस्था की जायेगी तथा प्रवेश द्वारों पर क्यू0आर0 कोड स्कैनर की समुचित संख्या में व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, देहरादून)

(iii) समारोह में थर्मल चेंकिंग, सैनेटाइजर एवं मास्क की पर्याप्त व्यवस्था के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठने की समुचित व्यवस्था की जायेगी। समारोह स्थल पर अवार्ड वितरण के समय पूर्णतया अनुशासन सुनिश्चित किया जायेगा तथा पत्रकार दीर्घा ऐसे स्थान पर नियत की जायेगी, जिससे कि मीडिया कर्मी पत्रकार दीर्घा से ही मंच सहित समारोह स्थल की पूरी कवरेज कर सकें तथा इससे दर्शकों को कोई असुविधा न हो। कार्यक्रमों की डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से लाईव स्ट्रीमिंग की जायेगी। उक्त कार्यक्रम से मीडिया को जोड़ने हेतु अधिकाधिक डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किया जायेगा।

(कार्यवाही- सूचना निदेशालय/जिलाधिकारी, देहरादून)

(iv) स्वतन्त्रता दिवस समारोह में जिन कर्मिकों/खिलाडियों को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाना है, सभी विभाग उनके नाम का चयन करते हुए शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 10.08.2022 तक खेल विभाग को उपलब्ध करायेगें तथा खेल विभाग द्वारा उक्त सभी नामों की संकलित सूची जिलाधिकारी, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी।

(कार्यवाही-सचिव, खेल/गृह/स्वास्थ्य सहित समस्त विभाग/जिलाधिकारी, देहरादून)

(v) समारोह में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा राज्य आन्दोलन के शहीदों के परिजनों द्वारा मा0 मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की जायेगी तथा उन्हें सम्मानित भी किया जायेगा।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, देहरादून)

(vi) उक्त कार्यक्रमों के आयोजन एवं समन्वय हेतु जिलाधिकारी, देहरादून के द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की जायेगी तथा विशेष प्रमुख सचिव, सूचना उत्तराखण्ड शासन के स्तर पर आवश्यक पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी, देहरादून एवं सूचना विभाग)

(vii) स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य में सूचना विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली फोटो गैलरी लगाने के सम्बंध में समारोह स्थल में स्थान की पर्याप्तता के अनुसार जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

(कार्यवाही- महानिदेशक, सूचना)

(viii) 15 अगस्त को प्रातः मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर प्रदेश की जनता को सन्देश तथा परेड ग्राउंड में जन सम्बोधन की व्यवस्था का समन्वय सूचना विभाग के द्वारा किया जायेगा। मा0 मुख्यमंत्री जी के उक्त सम्बोधन का ड्राफ्ट महानिदेशक, सूचना द्वारा तत्समय अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(कार्यवाही-महानिदेशक,सूचना/जिलाधिकारी, देहरादून)

(ix) सूचना विभाग द्वारा प्रदेश मुख्यालयों/जनपद मुख्यालयों में प्रमुख चौराहों पर दिनांक 14 अगस्त, 2021 को सांय 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक तथा दिनांक 15 अगस्त, 2021 को प्रातः 6:00 बजे से 11:00 बजे पूर्वाह्न तक लाउडस्पीकर के माध्यम से देश प्रेम एवं देश भक्ति के गीतों का प्रसारण किया जायेगा।

(कार्यवाही-सूचना निदेशालय/समस्त जिलाधिकारी)

(x) राज्यपाल महोदय को भारत सरकार की स्वतन्त्रता दिवस समारोह से संबंधित गाइडलाइन के संबंध में विशेष प्रमुख सचिव, सूचना द्वारा अवगत कराया जायेगा।

(कार्यवाही-सूचना विभाग)

(xi) दिनांक 15 अगस्त, 2022 को प्रदेश मुख्यालय एवं अन्य जनपदों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों के द्वारा सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय किया जायेगा।

(कार्यवाही—समस्त जिलाधिकारी)

(xii) सरकारी भवनों/इमारतों एवं ऐतिहासिक इमारतों को प्रकाशमान किये जाने में अनावश्यक व्ययभार से बचा जायेगा एवं प्रकाशीकरण हेतु कम बोल्टेज के (L.E.D) बल्बों का प्रयोग किया जायेगा।

(कार्यवाही—समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाधिकारी)

(xiii) प्रदेश में स्वतन्त्रता दिवस से संबंधित कार्यक्रमों का प्रदर्शन इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एवं डिजीटल/सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकाधिक किया जायेगा। इस हेतु विशिष्ट मीडिया प्लान बनाया जायेगा।

(कार्यवाही—महानिदेशक, सूचना /समस्त जिलाधिकारी)

घ. जिला स्तर पर कार्यक्रम :

(i) समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रातः 7.00 बजे प्रभात फेरी निकाली जायेगी। तदोपरान्त अपने शिक्षण संस्थान अथवा पूर्व निर्दिष्ट स्थान पर झण्डारोहण, राष्ट्रगान, खेलकूद, विचार गोष्ठी, प्रदर्शनी, वाद-विवाद/निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जायेगा, जिसके सम्बंध में निदेशक शिक्षा द्वारा सर्वसम्बंधितों को पृथक से मार्ग-निर्देश निर्गत किये जायेंगे। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, शहीदों/देश भक्तों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक तिरंगे झण्डे के महत्व/सम्मान से अवगत कराते हुए उनमें राष्ट्रीय चेतना विकसित करने का प्रयास किया जाये, विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान छात्र-छात्राओं के बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल एवं जलपान की उचित व्यवस्था की जायेगी। ध्वजारोहण सक्षम अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा।

कार्यवाही—महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/समस्त जिलाधिकारी)

(ii) प्रातः 9:00 बजे सभी सरकारी/गैर सरकारी इमारतों पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, सम्बोधन एवं अन्य उचित कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे एवं उक्त प्रकार के सभी समारोह में थर्मल चैकिंग, सैनिटाइजर एवं मास्क की पर्याप्त व्यवस्था के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(कार्यवाही—समस्त जिलाधिकारी/समस्त विभागाध्यक्ष)

iii) जनपद स्तरीय समारोह में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित किया जायेगा।

(कार्यवाही—समस्त जिलाधिकारी)

(iv) स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 अगस्त, 2021 की सायं 6:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक सरकारी भवनों/इमारतों एवं स्वतन्त्रता संग्राम के ऐतिहासिक स्मारकों को प्रकाशमान कराया जायेगा, जिसमें व्यापार मण्डलों, गैर शासकीय संस्थाओं व अन्य संस्थाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी। प्रकाशीकरण किये जाने में अनावश्यक व्ययभार से बचा जायेगा तथा प्रकाशीकरण हेतु कम बोल्टेज के बल्बों (L.E.D) का प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

(कार्यवाही—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समस्त जिलाधिकारी)

(v) विभिन्न स्मारकों/प्रतिमाओं, पार्कों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, रंग-रौंगत एवं सौन्दर्यीकरण हेतु संबंधित संस्थाओं/स्थानीय निकायों के माध्यम से यथोचित उपाय किये जायेंगे। इस हेतु शहरी विकास विभाग द्वारा सभी संबंधित स्थानीय निकायों को कार्यवाही हेतु यथाशीघ्र निर्देश जारी किये जायेंगे।

(कार्यवाही—सचिव, शहरी विकास विभाग/समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाधिकारी)

च. उक्त के अतिरिक्त विगत वर्षों के भांति निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी-

- मा. मुख्यमंत्री जी के प्रदेश की जनता को सन्देश हेतु समस्त विभागों द्वारा विलंबतम् 05 अगस्त, 2022 तक सूचनायें सूचना निदेशालय को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(कार्यवाही-समस्त विभाग)

- विगत वर्षों की भांति उक्त दिवस में सजा काट रहे कैदियों की रिहाई की जायेगी। इस सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही 10 अगस्त, 2022 तक गृह विभाग द्वारा पूर्ण कर ली जायेगी। इस सम्बंध में भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्यवाही-सचिव, गृह विभाग)

- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर ध्वजारोहण के दौरान Flag Code Of India, 2002 के प्राविधानों का उल्लंघन न हो।

(कार्यवाही-समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं समस्त जिलाधिकारी)

- स्वाधीनता समारोह के आयोजन में प्लास्टिक से बनी विभिन्न सामग्रियों का कम से कम प्रयोग किया जायेगा।

कार्यवाही-समस्त विभाग/समस्त जिलाधिकारी)

छ. स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कार्यक्रमों द्वारा और सोशल मीडिया पर विभिन्न गतिविधियों/संदेशों के माध्यम से "आजादी के अमृत महोत्सव" विषय को उपयुक्त रूप से जनसमुदाय के बीच प्रचारित और प्रसारित किया जाय। भारत के लोगों, संस्कृति एवं उपलब्धियों के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण करते हुए स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव उल्लासपूर्वक मनाया जाये। इस अवसर पर सम्बोधनों के दौरान राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, पंथनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता तथा साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को बलवती बनाने पर जोर दिया जाय। उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय एवं अन्य जनपदों में स्वतंत्रता आन्दोलनों से सम्बंधित संस्मरणों को बड़ी स्क्रीन/डिजिटल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान एवं सोशल मीडिया पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

प्रदेश मुख्यालय एवं अन्य जनपदों में इंटर स्कूल/इंटर कालेज बहस, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता/देशभक्ति निबंध लेखन और कविता प्रतियोगितायें, महत्वपूर्ण योजना का शुभारम्भ देशभक्ति गीतों का गायन, बालक/बालिकाओं द्वारा देशभक्ति के विषयों पर संबोधन/देशभक्ति के गीत गाना, एन.एस.एस. और एन.वाई.के.एस द्वारा देश भक्ति तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित समझी जाने वाली स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कोई अन्य कार्यक्रम किये जा सकते हैं यथा देशभक्ति/राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित संदेशों/गीतों का प्रचार, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों की प्रकाश व्यवस्था/साउंड शो, छतों/बालकनी में लोगों द्वारा राष्ट्रीय झंडे लहराना, डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से लाईव स्ट्रीमिंग इत्यादि।

हर घर तिरंगा/घर घर तिरंगा के दृष्टिगत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपने आवास पर तिरंगा फहराये जाने तथा अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने हेतु प्रोत्साहित करने की अपेक्षा की जाती है।

(कार्यवाही-सचिव शिक्षा विभाग/सूचना विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी, समस्त जिलाधिकारी)

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की पृष्ठभूमि में सभी विभाग निर्धारित सामान्य कार्यक्रम रूपरेखा के अन्तर्गत, समारोह को सफल बनाने हेतु हर संभव उपाय सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Sukhbir Singh  
Sandhu

Date: 28-07-2022 16:32:25

(डा० एस०एस० संघु)

मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3- समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण को मा.मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
- 4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 6- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड द्वारा सम्बंधित जिलाधिकारी।
- 7- मेयर, नगर निगम, देहरादून/समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
- 8- महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 10-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 11-महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 12-पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 13 महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, आई.टी.बी.पी., सीमाद्वार, देहरादून।
- 14- सब एरिया कमाण्डर, हेडक्वार्टर्स, देहरादून।
- 15- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
- 16- मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., देहरादून।
- 17- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 18- एन.आई.सी., सचिवालय।
- 19- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Abhinav Kumar

Date: 01-08-2022 12:33:31

(अभिनव कुमार)

विशेष प्रमुख सचिव

पृष्ठांकित पत्र सं०:- १४४ /227व्यख-सा0/2022

दिनांक 10/08/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, के संज्ञानार्थ।
- 2- मुख्य अभियन्ता मुख्यालय (अधिष्ठान/नियोजन/गुणवत्ता नियंत्रण) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून।
- 3- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0.....।
- 4- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर- I/ II/ III/ IV, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, 11वां वि०/यॉ० वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 6- समस्त अधीक्षण अभियन्ता.....वां वृत्त लो0नि0वि0.....।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
- 8- समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून।
- 9- समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 10- समस्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून।
- 11- समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून।
- 12- लेखा/बजट वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून।
- 13- प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून।
- 14- समस्त वैयक्तिक सहायक, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून।

  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
व्यवस्थापन ख वर्ग